कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पाँचवीं मन्जिल, ए–बी विंग भोपाल–462004

भोपाल, दिनांक : 18/06/2018

//आदेश//

क्रमांक 1697/308/आउशि/संबद्धता/2018 – माननीय राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2018–19 के लिए नवीन अशासकीय महाविद्यालय/ नवीन पाठ्यक्रम/ नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की मार्गदर्शिका जारी की गई है।

2. मार्गदर्शिका में यह प्रावधान किया गया है कि पूर्व से संचालित महाविद्यालयों में यूजी/पीजी संकाय पूर्ण होने के उपरान्त संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता बनाये रखने हेतु प्रतिवर्ष राशि रूपये 1,000/– (एक हजार) प्रति संकाय विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन ही जमा करना होगा एवं अग्रणी **महाविद्यालय द्वारा संस्था का आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व उक्त पूर्ति कराना सुनिश्चित किया जाये। प्रवेश पोर्टल पर पाठ्यक्रमों का सत्यापन निरंतरता शुल्क जमा करने की पुष्टि उपरान्त ही किया** जावे। उक्त निरन्तरता शुल्क समय पर जमा न करने की स्थिति में प्रदान की गई अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण–पत्र समाप्त कर दिया जायेगा।

3. **सत्र 2018–19 के लिए रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले** अशासकीय महाविद्यालयों, जिनके द्वारा निरन्तरता शुल्क जमा किया गया है, उनकी सूची निम्नानुसार है :–

क्र.	**जिला**	**अशासकीय महाविद्यालय का नाम**	**पूर्व से संचालित संकाय/पाठ्यक्रम जिसके लिए निरंतरता शुल्क जमा किया गया है।**
1	**छिन्दवाड़ा**	**प्रियदर्शिनी साइंस मैनेजमेन्ट एण्ड टैक्नॉलौजी कालेज, सौंसर, जिला– छिन्दवाड़ा**	**बी.ए.,बी.काम.,बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए.**
2	**सिवनी**	**महाकौशल कालेज ऑफ साइंस, छपारा, जिला–सिवनी**	**बी.ए.,बी.काम.,बी.सी.ए. एवं बी.एस.सी..**

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 27.07.2016 द्वारा एन. सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों हेतु राज्य शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी नही किया जा रहा है। **अतः एन.सी.टी.ई. के पाठ्यक्रमों को छोड़कर उक्त विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों को उनके द्वारा पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/संकायों का सत्र 2018–19 के लिए निरन्तरता शुल्क जमा करने के** फलस्वरूप पूर्व से संचालित ऐसे पाठ्यक्रमों जिनमें अंतिम वर्ष/उत्तरार्ध कक्षाओं के लिये अनापत्ति प्रमाण–पत्र पूर्व में जारी हो चुका है, उनको सत्र 2018–19 की निरन्तरता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

18/6/18

(डॉ धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

(Kamlesh)

निरन्तर– 2 पर

पृ0क्रमाक 1698/308/आउशि/संबद्धता/2018 भोपाल, दिनांक 18/06/2018

प्रतिलिपिः—

1—विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/ माननीय राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।

2—अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म.प्र.)।

3—विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रकोष्ठ भोपाल।

4—विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, अकादमिक गुणवत्ता शाखा, भोपाल।

5—क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, जबलपुर संभाग, जबलपुर (म.प्र.)।

6—कुलसचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।

7—प्राचार्य, संबंधित अग्रणी शासकीय महाविद्यालय जबलपुर संभाग, जबलपुर (म.प्र.)।

8—संबंधित संस्था के अध्यक्ष/ सचिव/प्राचार्य, मध्यप्रदेश।

9—वि.क.अ. उच्च शिक्षा (आई.टी.सेल), भोपाल की ओर विभागीय "वेबसाइट" पर अपलोड कराने हेतु।

—की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

(Kamlesh)